

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा.(III) यो. -31/2016-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार

वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

विषय- विभागान्तर्गत नवस्वीकृत सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय का वर्ष 2017-18 से सत्रारंभ हेतु चयनित अस्थायी परिसर राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा के इलेक्ट्रोनिक्स भवन एवं छात्र सुविधा केन्द्र भवन के आवश्यक मरम्मत/ जीर्णोद्धार तथा चहारदीवारी एवं आंतरिक पथ का निर्माण सहित परिसर विकास कार्यों के लिए कुल रू. 63,30,000=00 (तीरसठ लाख तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6426(भ) अनु, दिनांक 19.07.2017 के द्वारा उपलब्ध कराये गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विभागान्तर्गत नवस्वीकृत सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय का वर्ष 2017-18 से सत्रारंभ हेतु चयनित अस्थायी परिसर राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा के इलेक्ट्रोनिक्स भवन एवं छात्र सुविधा केन्द्र भवन के आवश्यक मरम्मत/जीर्णोद्धार तथा चहारदीवारी एवं आंतरिक पथ का निर्माण सहित परिसर विकास कार्यों के लिए कुल रू. 63,30,000=00 (तीरसठ लाख तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष- 4059 -लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, मांग संख्या-3, उपशीर्ष-0117- इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनों (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 03-4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भवन प्रमंडल, सहरसा को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा होंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, सहरसा से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.08.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संस्थान के प्राचार्य तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हः/ -

(मिर्जा आरिफ रजा)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -31/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -31/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -31/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -31/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -31/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा/प्राचार्य, सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -31/2016-

1993 /पटना, दिनांक- 18/8/17

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.8.17

सरकार के उप सचिव

18/8/17

18/8/17